



पत्रांक: 2084/क्यू 2-01/यू0आर0आर0डी0ए0/15
सेवा में,

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता,
पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0)
उत्तराखण्ड।


विषय: स्टेट क्वालिटी मोनीटर्स (पी0एम0जी0एस0वाई0) के माह अक्टूबर, 2015 के निरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

स्टेट क्वालिटी मोनीटर्स (पी0एम0जी0एस0वाई0) का निरीक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर, 2015 के लिए निम्नानुसार निर्गत किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करें कि पूर्ण कार्यों का निरीक्षण कराने से पूर्व उनकी ओमास में Physical completion की प्रविष्टि कर दी जायें :-

S. No.	Name of PIU	Phase	Package	Name of Work	Remark	SQM
SRINAGAR CIRCLE						
Satpuli						
1	Shri Ashok Kumar (9412988870) (01382229892)	11	UT 08-35	Panchwati to Gadoli Motor Road, Stage-I&II	Final Inspection	Shri R.V.S Chauhan (9719516358) (rvsrafi@yahoo.com)
2		11	UT 08-36	Bhergari (Bhergaon) to Gudinda Motor Road, Stage-I&II	Final Inspection	


आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित एस0क्यू0एम0 से वार्ता कर तिथियों का निर्धारण करने के पश्चात कार्यों के निरीक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें करने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु चयनित मार्गों/सेतुओं से संबंधित सूचना एस0क्यू0एम0 को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है। कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यों का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण के समय स्टेट क्वालिटी मोनीटर को कार्य के क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर, डी0पी0आर0, ड्राइंग, टेस्टिंग equipments तथा पिछले निरीक्षण की एन0क्यू0एम0/ एस0क्यू0एम0 रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायी जाये। एन0क्यू0एम0 एवं एस0क्यू0एम0 के लम्बित 'यू' ग्रेडिंग के ए0टी0आर्स0 को अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें। ए0टी0आर्स0 सत्यापन की कार्यवाही की गयी हो तो एस0क्यू0एम0 से ए0टी0आर0 सत्यापित करवा कर मार्ग ओमास में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।


(ई0 पूरन चन्द्र)
राज्य गुणवत्ता समन्वयक

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
5. सम्बन्धित एस0क्यू0एम0 को इस अनुरोध से प्रेषित कि निरीक्षण किये गये कार्यों की रिपोर्ट की एक प्रति पी0आई0यू0 के साथ-साथ यू0आर0आर0डी0ए0 कार्यालय में भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये तथा निरीक्षण आख्या को कम से कम 10 फोटो सहित अपलोड करने का कष्ट करें। निरीक्षण तथा अपलोडिंग की कार्यवाही मोबाईल हेंड सैट से करना अनिवार्य है। एन0आर0आर0डी0ए0 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि एस0क्यू0एम0 मात्र Operation Manual के प्राविधानों के अनुरूप ही निरीक्षण न करें, वरन् Quality Issues को अपने निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करते हुए यह भी आश्वासन दे कि मार्ग/सेतु के निर्माण की गुणवत्ता अच्छी है तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है। लम्बित ए0टी0आर0 के सत्यापन हेतु विशेष प्रयास किये जायें। मा0 मुख्यमंत्री जी के दिनांक 19-05-2014 की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निरीक्षण करने से पूर्व आप सम्बन्धित जिलाधिकारी से सम्पर्क करने का कष्ट करें तथा निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण आख्या की प्रतियाँ सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराकर प्राप्ति की प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी अभिलेख हेतु उपलब्ध कराने की कृपा करें। प्रत्येक आवंटित कार्य का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। एस0क्यू0एम0 को निर्देशित किया जाता है कि जिन मोटर मार्गों के आगे ए0टी0आर0 सत्यापन लिखा गया है, यदि उस मार्ग के कमियों को ठीक किया गया हो तो ए0टी0आर0 सत्यापन की कार्यवाही करते हुए मार्ग का निरीक्षण भी ओमास में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, श्रीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यक्रम के अनुसार अपने अधीनस्थ समस्त पी0आई0यू0 से सभी कार्यों का निरीक्षण करवाने हेतु अपने स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार RRP-II से सम्बन्धित समस्त लम्बित ATRs के निस्तारण/सत्यापन हेतु पूर्ण कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
7. लेखाकार/सहायक लेखाकार, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।


21.10.15
राज्य गुणवत्ता समन्वयक